सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवम् लेखा
वित्त भवन, जनपथ
जयपुर

प्रशासनिक प्रतिवेदन
वर्ष 2019–2020

दूरभाष : 2740239, 2744861 फैक्स नम्बर – 2742309
E-MAIL : dir-ta-rj@nic.in

प्रस्तावना

निदेशालय कोष एवं लेखा वित्त विभाग के अधीन राज्य सरकार के वित्तीय लेखांकन तथा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के संस्थापन तथा नियंत्रण के लिये उत्तरदायी है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत विभाग द्वारा निम्न मुख्य कार्य संपादित किये जा रहे हैः–

- राज्य के सभी कोषालयों/उपकोषालयों पर तकनीकी एवं वित्तीय नियंत्रण।
- बजट एवं कोष कार्यालयों की कार्य प्रणाली को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से स्थापित की गई एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली का संचालन।
- सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा राजस्थान कोषागार नियम में संशोधन हेतु राज्य सरकार को सुझाव/ प्रस्ताव देना।
- वित्त विभाग को मार्गोपाय स्थिति की नवीनतम जानकारी देने के लिए कोषालयों से प्राप्त विभिन्न विभागों के आय एवं व्यय के मासिक आंकड़े संकलित कर वित्त विभाग को उपलब्ध कराना।
- राज्य के कोषालयों द्वारा प्रतिमाह रक्षा, केन्द्रीय, उत्तरी रेल्वे तथा पश्चिमी रेल्वे पेंशनरों को किये जाने वाले पेंशन भुगतान के वाउचर क्रमशः रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन), इलाहाबाद, केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, दिल्ली/वरिष्ठ मण्डल लेखाधिकारी/वित्त प्रबंधक उत्तर–पश्चिमी रेल्वे जयपुर को प्रेषित कर उसके पुनर्भरण प्राप्त करने के कार्य में महालेखाकार, राजस्थान को सहयोग प्रदान करना।
- राजस्थान अग्रिम जोखिम निधि का लेखा कोषालयों के माध्यम से संधारण।
- राज्य कर्मचारियों को दिये गये दीर्घकालीन ऋणों के खातों का कोषालयों के माध्यम से संधारण।
- राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम/द्वितीय एवं कनिष्ठ लेखाकार संवर्ग का संस्थापन एवं नियंत्रण।
- वित्त भवन का अनुरक्षण एवं रखरखाव।
- अल्प बचत एवं लॉटरी विभाग के बकाया कार्यों का निष्पादन।

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	विभाग का संगठनात्मक ढ़ांचा	1
2.	स्वीकृत पद	2-3
3.	बजट प्रावधान (2019–20)	4
4.	विभागीय कार्य एवं अनुभाग	
i	विभाग के प्रमुख कार्य एवं प्रगति	5-8
ii	कोष एवं बजट	9-12
iii	एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली	13-14
iv	कार्मिक	15-16
v	प्रशासन	17
vi	जाँच एवं विधि	18
vii	अल्प बचत	19
viii	आलौच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धि	20
ix	सार–संक्षेप	21
x	वित्त विभाग से संबंधित दूरभाष नम्बर	22
xi	निदेशालय कोष एवं लेखा से संबंधित दूरभाष नम्बर	23
xii	राज्य के कोषालयों का विवरण एवं दूरभाष नम्बर	24-25
xiii	राज्य के उपकोषालयों का विवरण एवं दूरभाष नम्बर	26-36

विभाग का संगठनात्मक ढांचा

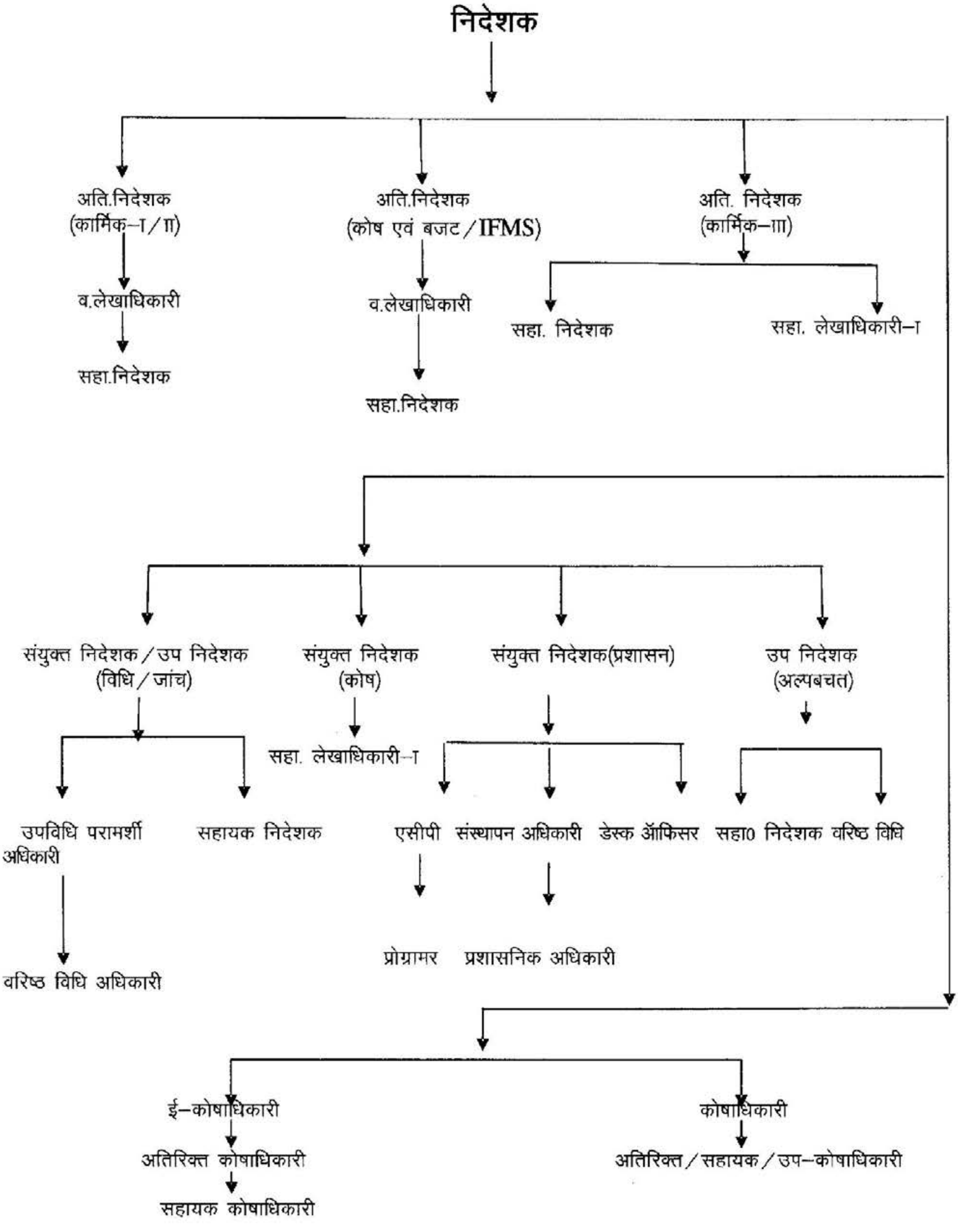

स्वीकृत पद

निदेशालय में स्वीकृत पद

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद		
		निदेशालय		
(अ) राजपत्रित अधिकारी		स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	निदेशक	1	1	0
2	अति. निदेशक	3	3	0
3.	संयुक्त निदेशक	3	3	0
4	उपनिदेशक	1	1	0
5	ई–कोषाधिकारी	1	1	0
6	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	2	0	2
7	लेखाधिकारी	6	2	4
8	उपनिदेशक--कम--ए.सी.पी.	1	1	0
9	अतिरिक्त कोषाधिकारी	2	2	0
10	सहायक निदेशक	7	6	1
11	सहायक लेखाधिकारी–ग्रेड प्रथम	6	6	0
12	सहायक कोषाधिकारी	1	0	1
13	उपविधि परामर्शी	1	1	0
14	वरिष्ठ विधि अधिकारी	2	0	2
15	प्रोग्रामर	1	1	0
16	निजी सचिव	1	1	0
17	संस्थापन अधिकारी	2	0	2
18	अतिरिक्त निजी सचिव	2	2	0
19	प्रशासनिक अधिकारी	4	0	4
20	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	12	6	6
	योग (अ)	**59**	**37**	**22**

(ब)अराजपत्रित कर्मचारी				
1	निजी सहायक	3	2	1
2	सहायक लेखाधिकारी–ग्रेड द्वितीय	20	19	1
3	आशुलिपिक	4	0	4
4	कनिष्ठ लेखाकार	26	15	11
5	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	14	5	9
6	वरिष्ठ सहायक	27	26	1
7	कनिष्ठ सहायक	31	31	0
8	सहायक प्रोग्रामर	2	2	0
9	कनिष्ठ विधि अधिकारी	1	1	0
10	वाहन चालक	3	2	1
11	मशीन मेन	1	0	1
12	जमादार	2	1	1
13	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	32	14	18
योग (ब)		**166**	**118**	**48**
योग (अ+ब)		**225**	**155**	**70**

नोट :– एक उपनिदेशक, संयुक्त निदेशक के पद विरूद्ध तथा सहायक लेखाधिकारी–ग्रेड प्रथम के 10 पद पर अस्थायी रूप से क्रमोन्नत /सहायक लेखाधिकारी–ग्रेड द्वितीय /कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पदों विरूद्ध के कार्यरत हैं।

बजट प्रावधान (2019–20)

राज्य निधि (राशि लाख रूपयों में)

क्र. सं.	मद	वर्ष 2019–20 के लिये स्वीकृत मूल अनुदान	दिसम्बर, 2019 तक व्यय	विशेष विवरण
1	2	3	4	4
1	2054-00-095-01-00 दत्तमत (निदेशालय)	2102.42	1385.71	
2	2054-00-095-01-00 प्रभृत (निदेशालय)	0.01	1.76	वित्त विभाग की आईडी संख्या 271900271 दिनांक 16.07.2019 एवं 271900411 दिनांक 13.11.2019 के द्वारा क्रमशः राशि रूपये 1,50,000 एवं 1,76,042 रूपये की अतिरिक्त बजट की स्वीकृति प्रदान की गई।
3	2054-00-097-05-01 दत्तमत (कोष/उपकोष)	16555.58	10478.66	
4	4059-80-051-(42)-17	433.32	315.27	निर्माण कार्य प्रगति पर
5	4059-80-796-(02)-(01) 4059-80-789-(07)-(01)	90.00 30.00	81.80 19.60	निर्माण कार्य प्रगति पर
6	2054-00-097-(01)-00-05 2054-00-097-(01)-00-62	50.00 140.00	7.88 133.75	फर्नीचर उपकरण क्रय प्रगति पर
7	2054-00-097-(03)-62	1000.64	458.26	
	योग	**20401.97**	**12882.69**	

विभागीय कार्य एवं अनुभाग

विभाग के प्रमुख कार्य एवं प्रगति

क्र. सं.		कार्य का नाम	वर्ष 2019–20	गत तीन वर्षो का प्रगति विवरण 2018–19	2017–18	2016–17
1.		कोषालयों/उप कोषालयों के सम्बन्ध में				
	(1)	नवीन कोषालयों का सृजन	0	0	0	0
	(2)	नवीन उप कोषालयों का सृजन	0	2	11	14
	(3)	नवीन भवन निर्माण	0	4	18	8
2.		अधीनस्थ लेखा सेवा के स्वीकृत पद				
	(1)	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I	2160	2174	2146	2097
	(2)	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	3489	3491	3484	3504
	(3)	कनिष्ठ लेखाकार	5342	5249	5237	5156
3.		अधीनस्थ लेखा सेवा में नवीन नियुक्तियाँ				
	(1)	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	00	00	02	33
	(2)	कनिष्ठ लेखाकार	–	333	3220	3
4.		अधीनस्थ लेखा सेवा में/से पदोन्नतियाँ				
	(1)	लेखाधिकारी	204	127	195	89
	(2)	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I	524	564	128	216
	(3)	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	10	149	89	0
5.		एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली				
	(1)		वर्ष 2011–12 में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के अन्तर्गत बजट मुद्रण, बी. एफ.सी. बैठकों हेतु ऑनलाइन विभागीय प्रस्ताव, ऑनलाइन बजट आवंटन, ऑनलाइन कोष कार्य, बैंकों/महालेखाकार को इन्टरफेस, ऑनलाइन संवेतन बिल इत्यादि कार्य किये गये।			

	(2)	वर्ष 2012–13 में ऑनलाइन भुगतान प्रणाली, आधार आधारित भुगतान प्रणाली, ऑनलाइन बिल प्रस्तुतीकरण, बैंको से सीधे भुगतान स्टेट्स प्राप्त करने की प्रक्रिया, ऑनलाइन स्क्रॉल, ई–भुगतान के माध्यम से राजस्व प्राप्ति हेतु ई–ग्रास का प्रारम्भ, ई–कोषालय की स्थापना, इन्टरनेट बैंकिग से राजस्व जमा कराने की सुविधा, पी.डी. खातों के संधारण के लिए ऑनलाइन व्यवस्था इत्यादि कार्य किये गये।
	(3)	वर्ष 2013–14 में ई–ग्रास से वाणिज्यिक कर विभाग के पोर्टल का इन्टीग्रेशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के ऑनलाइन मॉड्यूल का विस्तार, सिविल पेंशन हेतु ऑनलाइन पी.पी.ओ./जी. पी.ओ./सी.पी.ओं जनरेशन करने की सुविधा, बैंको द्वारा किए जा रहे मासिक पेंशन भुगतान की कोषालयों के स्तर पर जॉच हेतु, ऑनलाइन पेंशन चैक रजिस्टर, स्टाम्पस् के संधारण हेतु ऑनलाइन मॉड्यूल, ई–ग्रास के अन्तर्गत मैनुअल जमा चालानों हेतु चालान जनरेट करने की सुविधा इत्यादि कार्य किए गए।
	(4)	वर्ष 2014–15 में मैनुअल जमा राजस्व के चालानों का ई–ग्रास से जनरेट कर जमा कराया जाना अनिवार्य किया गया, ई–ग्रास से आबकारी विभाग, ई–मित्रा, खान एवं भूगर्भ विभाग, परिवहन विभाग का इन्टीग्रेशन, ई.सी.एस. एवं एन.ई.एफ.टी. के भुगतानों हेतु सिंगल फाइल जनरेट करने की सुविधा दी गई, कर्मचारियों के आवास एवं वाहन ऋणों हेतु एल.टी.ए. मॉड्यूल प्रारम्भ किया गया, पेंशन के प्रथम भुगतान भी इलेक्ट्रोनिक माध्यम से किए जाने प्रारम्भ किए गए, ऑनलाइन बिल प्रणाली में बिलों की संबंधित ऑब्जेक्ट हैड से मैपिंग की गई जिससे संबंधित मद में ही बिल बनाया जा सके।
	(5)	वर्ष 2015–16 में निर्माण विभागों के लेन–देनों को कोषालयों के माध्यम से किए जाने हेतु वित्त(जीएण्डटी) विभाग के परिपत्र दिनांक 14.09.2015 द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुसार प्रक्रिया पायलेट आधार पर 5 डिविजनों में दिनांक 01.10.2015 से लागू की गई है। निर्माण खण्डों के संव्यवहार कोषालय से किए जाने का कार्य सम्पूर्ण रूप से 01.04.2016 से समस्त खण्डों में लागू किया जा चुका है। दिनांक 02.11.2015 से राज्य के राजस्व डेबिट/क्रेडिट कार्ड से जमा करवाने की सुविधा ई–ग्रास पर उपलब्ध करवाई गई। प्रधान महालेखाकार कार्यालय को 5 कोषालयों का ई–लेखा (भौतिक वाउचर एवं चालानों के साथ) प्रस्तुत किया जाना प्रारम्भ कर दिया गया है।
	(6)	वर्ष 2016–17 में पंचायतीराज कार्मिकों का वेतन भुगतान कोषालयों के माध्यम से किए जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई तथा ऑनलाईन अंक मिलान प्रक्रिया तीन बजट नियंत्रण अधिकारियों के साथ दिनांक 01.04.2016 से वित्त (बजट) विभाग के परिपत्र दिनांक 24.02. 2016 के क्रम में पायलेट बेसिस पर प्रारम्भ की गई। पी.डी. खातों में इलेक्ट्रोनिक भुगतान की प्रक्रिया भी 4 पी.डी. खातों में दिनांक 01.11.2016 से पायलट बेसिस पर वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के परिपत्र दिनांक 30.09.2016 के क्रम में प्रारम्भ की गई। भारतीय रिजर्व बैंक के ई–कुबेर सिस्टम का राज्य सरकार के ई–ग्रास एवं ई–पेमेन्ट के साथ इन्टीग्रेशन प्रक्रिया तैयार कर अनुमोदन हेतु महालेखाकार कार्यालय को प्रस्तुत कर दी गई। ई–भुगतान के संबंध में मोबाईल एप एवं एस.एम.एस. की सुविधा भी प्रारम्भ की गई। ई–ग्रास पर ई–भुगतानों के संबंध में भी मोबाईल एप से संव्यवहार देखने की सुविधा विकसित कर ली गई। उपकोषाधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षरों से इलेक्ट्रोनिक भुगतान किए जाने की प्रक्रिया 4 उपकोषालयों (चौमू, बहरोड़, केकड़ी एवं गंगापुरसिटी) में दिनांक 01.02.2017 से पायलेट बेसिस पर प्रारम्भ किए गए। आई.एफ.एम.एस. का भामाशाह भुगतान प्रणाली से इन्टीग्रेशन किया गया। आई.एफ.एम.एस. का भारत सरकार के पी.एफ.एम.एस. पोर्टल से कोष संव्यवहारों के व्यय व बजट रिलीज के डेटा हेतु इन्टीग्रेशन किया गया। राजस्व विभागों के ई–ग्रास पे–मैनेजर से इन्टीग्रेशन, ई–कुबेर आर.बी.आई. से इन्टीग्रेशन करने, वर्तमान आई.एफ.एम.एस. की एप्लीकेशन का अपग्रेडेशन एवं संधारण ई–लेखा पेंशन, ई–पीपीओं को बैंक से जोड़ना, ई–अंक मिलान इत्यादि कार्य भी द्वितीय चरण में सम्मिलित किये गये।

	(7)	वर्ष 2017–18 में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के तहत निम्नलिखित सुविधाएं विकसित की गई:– 1. राज्य कार्मिकों के ऑनलाईन यात्रा बिल प्रस्तुत किये जाने की प्रक्रिया दिनांक 01.09.2017 से प्रारम्भ की गई। 2. राज्यकार्मिकों के ऑनलाईन चिकित्सा बिल प्रस्तुत किये जाने की प्रक्रिया दो विभागों निदेशालय, कोष एवं लेखा मय कोषालयों/उपकोषालयों तथा निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में पायलट के आधार पर दिनांक 15.09.2017 से प्रारम्भ की गई। 3. ई–ग्रास पर मोबाईल एप की सुविधा दिनांक 02.10.2017 से प्रारम्भ की गई। 4. पी.डी. खातों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की प्रक्रिया सभी संस्थाओं/निगमों में दिनांक 01.09.2017 से प्रारम्भ की गई। 5. IFMS के तहत भामाशाह पोर्टल के माध्यम से इंटीग्रेशन कर भुगतान किये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। 6. पी.डी. खातों में Sub-User बनाकर भुगतान किये जाने की सुविधा प्रारम्भ की गई हैं। 7. सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन एवं एरियर भुगतान की सुविधा पे–मैनेजर पर उपलब्ध करवाई गई। 8. GST के लेखांकन की नवीन प्रक्रिया भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार तैयार करवाकर ई–कोषालय से संबद्ध की गई। 9. सभी उपकोषाधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षरों से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी। 10. राजस्व प्राप्तियों से संबंध मैन्युअल भुगतानों को ई–मोड़ पर स्थानान्तरित कर ई–कोष से संबद्ध किया गया जिसमें राजस्व जमाकर्ताओं को एजेन्सी बैंको की किसी भी शाखा में चालान के माध्यम से मैन्यूअल भुगतान करने की सुविधा प्रदान की गयी। 11. एस.बी.आई व एस.बी.बी.जे. बैंको को समामेलन के कारण आई.एफ.एम.एस. में संबद्ध प्रक्रियाओं को पूर्णतया परिवर्तित किया गया। 12. पी.डी. खातों के ऑनलाईन खोलने की प्रक्रिया कोषालयों से संबद्ध की गयी।
	(8)	वर्ष 2018–19 में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के तहत निम्नलिखित सुविधाएं विकसित की गई:– 1. दिनांक 01.08.2018 से राज्य कार्मिकों के चिकित्सा बिल ऑनलाईन प्रस्तुत किये जाने की सुविधा प्रारम्भ की गई। 2. कोषालय जयपुर (शहर) के ई–भुगतान माह जुलाई, 2018 से पायलट के आधार पर ई–कुबेर पोर्टल से प्रारम्भ किये गये है तथा कोषालय अजमेर एवं सीकर के ई–भुगतान दिनांक 22.10.2018 से ई–कुबेर पोर्टल से प्रारम्भ किये गये है। 3. दिनांक 01.10.2018 से GST TDS की कटौती किये जाने की सुविधा प्रारम्भ की गई है। 4. पे–मैनेजर व ई–ग्रास पर सुरक्षात्मक उपाय संयोजित किये गये। 5. पीएनबी पेमेन्ट गेटवे हेतु आवश्यक इन्टीग्रेशन ई–ग्रास से किया गया। 6. निर्माण कार्य हेतु बीएसआर मॉडयूल विकसित किया गया। 7. महालेखाकार कार्यालय से ई–लेखा व ई–अंक मिलान प्रक्रिया प्रारम्भ करने हेतु सिस्टम विकसित किये जाने की एसआरएस का अंतमीकरण कर अनुमोदन करवाया गया।

	(9)	आलौच्य वर्ष 2019–20 में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के तहत निम्नलिखित सुविधाएं विकसित की गईः– 1. दिनांक 11.04.2019 से सभी कोषालायों/उपकोषालयों का ई–भुगतान भारतीय रिजर्व बैक के ई– कुबेर पोर्टल के माध्यम से प्रारम्भ किया गया। 2. महालेखाकार कार्यालय को ई–लेखा प्रस्तुत करने की प्रकिया कोषालय टोंक,सीकर एवं जयपुर (शहर) के साथ पायलट आधार पर माह जून 2019 से प्रारम्भ की गई। 3. दिनांक 01.08.2019 से ऑनलाइन अंकमिलन की प्रकिया 4 बजट नियंत्रण अधिकारियों/कोषालयों के साथ पायलट आधार पर टेस्टिंग हेतु प्रारम्भ की गई। 4. निर्माण विभागों हेतु ऑनलाईन बीएसआर तैयार करने एवं ऑनलाईन प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने की प्रकिया दिनांक 01.09.2019 से पायलट आधार पर 5 डिविजनों के साथ प्रारम्भ की गई हैं। 5. राजकीय संव्यवहारों/भुगतानों हेतु विभागों/आहरण वितरण अधिकारियों/पीडी खाता धारकों/खण्डीय खाताधारकों के लिए वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 13.09. 2019 के द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर कार्मिकों के मास्टर डेटा को विभागाध्यक्ष स्तर पर अधिकृत करने, स्वीकृत पदो के कार्यालयवार वितरण, पेंशन अधिकृति के आधार पर लीव एन्केशमेंट का मॉड्युल भी सम्बद्ध किया गया। 6. ई–ग्रास पर भीम/यूपीआई को सम्बद्ध किया गया। 7. विधानसभा व लोकसभा चुनावों के दौरान कार्मिकों को देय भत्तों इत्यादि का भुगतान आईएफएमएस से सम्बद्ध कर ऑनलाईन किया गया। 8. राजकोष पर कन्टीन्जेंसी मॉड्यूल को सम्बद्ध किया गया।

कोष एवं बजट अनुभाग

कोष एवं बजट अनुभाग द्वारा सम्पादित किए जाने वाले कार्यो के लिए निदेशालय में अतिरिक्त निदेशक(कोष एवं बजट) प्रभारी अधिकारी है।

1. निदेशालय द्वारा राज्य सरकार के आय–व्यय के प्रारम्भिक लेखों का संकलन एवं संधारण कार्य कोषालयों के माध्यम से संपादित किया जाता है।

2. बजट एवं कोष की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से स्थापित एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का संचालन, नियम/निर्देशों को जारी किए जाने एवं पर्यवेक्षण किया जाता है।

3. निदेशालय द्वारा वित्त विभाग को कर एवं गैर कर राजस्व से सम्बन्धित प्राप्तियों की सूचना नियमित रुप से प्रतिमाह भेजी जाती हैं ।

4. निदेशालय, समस्त कोष/उपकोष में कम्प्यूटर स्थापित किये जा चुके हैं। समस्त उपकोष एवं कोष कार्यालयों, निदेशालय एवं वित्त विभाग को कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा दूरभाष स्वीकृत किये गये हैं। साथ ही एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के अन्तर्गत कोष कार्यालयों को लीज लाईन से व उपकोष कार्यालयों को ब्रांडबेण्ड से जोड़ा जा चुका है।

5. चालू वित्तीय वर्ष 2019–2020 में माह 12/2019 तक की पेंशन के संबंध में केन्द्रीय पेंशनरों को राज्य स्थित कोषालयों के माध्यम से कोई भुगतान नहीं किया गया है। समस्त भुगतान बैंक के माध्यम से किये जा रहे है। पूर्व के बकाया आउटवार्ड क्लेम निदेशालय द्वारा महालेखाकार से प्राप्त कर केन्द्रीय पेंशन मुख्यालय नई दिल्ली को प्रेषित कर पुनर्भरण प्राप्त किया जा चुका है।

6. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–2020 में माह 10/2019 तक रक्षा पेंशनरों को भुगतान की गयी पेंशन राशि के आउटवार्ड क्लेम महालेखाकार से प्राप्त कर रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) इलाहाबाद को प्रेषित किये जा चुके है।

7. चालू वित्तीय वर्ष में रेल्वे पेंशन भुगतान संबंधित कोई वाउचर प्राप्त नहीं हुआ है।

8. दीर्घकालीन ऋण – राज्य कर्मचारियों को दीर्घकालीन ऋणों के अदेय प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने में होने वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने दीर्घकालीन ऋणों के संधारण का कार्य दिनांक 1.7.88 से महालेखाकार, राजस्थान से अपने अधीन लिया जाकर कोष कार्यालयों के माध्यम से संपादित किया जाना प्रारंभ किया गया । इसके साथ–साथ महालेखाकार से निम्नलिखित अवधि का बकाया कार्य भी राज्य सरकार द्वारा लिया गया :–

1. भवन अग्रिम के दिनांक 1.4.87 से 30.6.88 तक का लेखों के संधारण।
2. वाहन अग्रिम के दिनांक 1.4.86 से 30.6.88 तक के लेखों का संधारण।

दिनांक 1 जुलाई, 1988 से दीर्घकालीन ऋणों के लेखों के संधारण का कार्य कोषालयों द्वारा किया जा रहा है एवं अदेयता प्रमाण पत्र देने से सम्बन्धित कार्यवाही भी कोषालय स्तर पर ही की जाती है। निदेशालय द्वारा दि. 01.07.1988 से पूर्व के अपूर्ण खातों को संशोधित कर संबंधित कोषालय को भेजना, कोषालयों में अप्राप्त खातों की सत्यप्रति जारी करना एवं कोषालयों को मार्गदर्शन देने का कार्य सम्पादित किया जाता है ।

दिनांक 31.03.2004 तक स्वीकृत भवन अग्रिम की कटौतियाँ वेतन माह 5/2004 से एस.बी. बी.जे. (वर्तमान में एस.बी.आई.) सचिवालय ब्रांच, जयपुर को कोषाधिकारियों द्वारा डी.डी./चैक से भेजी जा रही थी माह 09/2017 से पे--मैनेजर के माध्यम से ई–भुगतान से बैंक को उक्त राशि प्रेषण की जा रही है।

9. राजस्थान अग्रिम जोखिम निधि – दिनांक 01.04.1990 से राजस्थान अग्रिम जोखिम निधि का कार्य निदेशक,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग से लिया जाकर कोषालयों द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। कोषालयों से प्राप्त अग्रिम जोखिम निधि की सूचना के आधार पर महालेखाकार राज. जयपुर की ब्राडशीट के आकड़ों से मिलान करना, बजट, मार्गदर्शन एवं नियन्त्रण निदेशालय द्वारा किया जाता है ।

10. लोक सेवा गारन्टी अधिनियम, 2012 -- कोष/उपकोष कार्यालयों से भुगतान की जाने वाली सिविल पेंशन को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत लिया गया है। लोक सेवा गारन्टी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संयुक्त निदेशक (विधि) को नोडल अधिकारी बनाया गया है तथा क्रियान्विति सुनिश्चित की जा रही है।

कोषालयों/ उपकोषालयों के मुख्य कार्यः–

कोषालयों का प्रमुख कार्य राज्य सरकार के आय--व्यय के प्रारम्भिक लेखों का संकलन एवं संधारण करना है जिनके आधार पर राज्य एवं केन्द्र सरकार के बीच समायोजन का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक, लोक लेखा अनुभाग, जयपुर द्वारा किया जाता है। यह कार्य 1.10.87 से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर द्वारा किया जाता था। कोषाधिकारियों द्वारा मासिक लेखे महालेखाकार, राजस्थान को प्रस्तुत किये जाते है। वर्ष 2019–20 (नवम्बर, 2019 तक) के दौरान अधिकांश कोषाधिकारियों द्वारा मासिक लेखे समय पर महालेखाकार को प्रस्तुत किये गये हैं। मासिक लेखे एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के माध्यम से भी आन लाईन प्रस्तुत किये जा रहे है। कोष प्रणाली का समस्त कार्य एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली पर ही सम्पादित किए जा रहे है।

1. राजस्थान में 41 कोष कार्यालय तथा 244 उपकोष व 9 पेन्शन उपकोष कार्यालय कार्यरत हैं ।

2. समस्त कोषालयों, उपकोषालयों एवं नई दिल्ली स्थित भुगतान एवं लेखाधिकारी द्वारा उनके निर्धारित कार्य क्षेत्र में स्थित राज्य सरकार के कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन बिलों और अन्य प्रकार के बिलों को पारित कर इलेक्ट्रोनिक पद्वति से भुगतान किया जाता है। कोषाधिकारियों एवं उपकोषाधिकारियों से राजस्थान कोषागार नियमावली, वित्तीय नियमों एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार वित्तीय अनुशासन बनाए रखना भी अपेक्षित है आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषालयों/उपकोषालयों को ऑन लाईन बिल प्रस्तुत किये जा रहे है। इस हेतु स्टाम्पस माड्यूल पर भी एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के अन्तर्गत कार्य किया जा रहा है।

3. सभी कोषालयों एवं उपकोषालयों द्वारा ज्यूडिशियल एवं नॉन ज्युडिशियल, शेयर हस्तान्तरण, नोटेरी, राजस्व आदि सभी प्रकार के स्टाम्पों की बिक्री, स्टाम्प वेण्डरों के माध्यम से एवं सीधी भी केता को की जाती है । विभिन्न अनुबन्ध एवं दस्तावेजों पर लगने वाले स्पेशल एडहेसिव स्टाम्प कोषालय/उपकोषालय द्वारा बिक्री किये जाते हैं ।

4. राजकीय उपक्रम, बोर्ड, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगरपालिका, कृषि उपज मण्डी समिति एवं अन्य स्वायत्तशाषी संस्थाओं तथा निजी शिक्षण संस्थाओं के निजी निक्षेप खातों का संधारण भी कोषालयों/उपकोषालयों द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान/ऋण एवं अन्य प्रकार की राशि प्रथमतः इन निजी निक्षेप खातों में जमा की जाती है। इन खातों से राशि का आहरण दिनांक 01.09.2017 से ई–भुगतान प्रणाली द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

5. कोषालयों द्वारा राज्य सरकार के आय एवं व्यय के आंकड़े का संकलन कर प्रत्येक माह की 15 तारीख तक लेखों की प्रथम सूची तथा अगले माह की 5 तारीख तक द्वितीय सूची महालेखाकार कार्यालय तथा निदेशालय कोष एवं लेखा को भेजी जाती है।

6. ई–कोषालय द्वारा राज्य सरकार के ई–राजस्व के साथ–साथ मैन्यूअल राजस्व जमा (पी.डी. खातों व माइनस व्यय को छोड़कर) के लेखों का संकलन कर महालेखाकार कार्यालय को प्रस्तुत किया जा रहा है।

7. राज्य कर्मचारियों को भवन निर्माण एवं वाहन क्रय हेतु उपलब्ध कराये गये ऋण के लेखों के संधारण का कार्य कोषालयों द्वारा किया जाता है एवं इस संबंध में अदेयता प्रमाण–पत्र भी संबंधित कोषालय द्वारा जारी किए जाते है।

8. राजस्थान राज्य पेंशनरों , केन्द्रीय सरकार के पेंशनरों, रक्षा पेंशनरों, रेल्वे पेंशनरों , राज्य तथा केन्द्र के स्वतंत्रता सेनानियों, पूर्व विधायकों एवं अन्य राज्यों के पेंशनरों को पेंशन का भुगतान सम्बन्धित कोषालय /उप कोषालय द्वारा किया जाता है। सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत वृद्धावस्था पेंशन के आधार पर मनिआर्डर/बैंक से पेंशन का भुगतान कोषालय/उपकोषालय द्वारा किया जाता है।

9. कोषालयों के माध्यम से राजस्थान राज्य के पेंशनरों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। कोषाधिकारी द्वारा प्रत्येक पेंशनर को इस कार्य हेतु मेडिकल डायरी जारी की जाती है। वर्ष 2012–13 से नयी मेडिकल डायरी जारी की गई है। सहकारी उपभोक्ता भण्डार एवं अनुमोदित

औषधि विक्रेताओं द्वारा पेंशनरों को दी गई औषधियों का भुगतान भी कोषाधिकारियों द्वारा विक्रेताओं को किया जाता है। जिले में इस कार्य हेतु गठित ट्रस्ट का सचिव कोषाधिकारी होता है।

10. केन्द्रीय पेंशनरों, रक्षा पेंशनरों,उत्तरी रेल्वे पेंशनरों तथा पश्चिम रेल्वे पेंशनरों के मामले में पेंशन के भुगतान वाउचर कोषाधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह निदेशालय कोष एवं लेखा के माध्यम से महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को प्रस्तुत किये जाते हैं जो इनको सम्बन्धित कार्यालयों से पुनर्भरण प्राप्त करने हेतु भिजवाते हैं।

11. जयपुर में स्थित ई–कोषालय द्वारा ई–ग्रास (e-GRAS) के माध्यम से सभी राजस्व मदों में इलेक्ट्रोनिक प्राप्तियों का संधारण एवं लेखांकन किया जा रहा है। ई–ग्रास के अन्तर्गत वर्तमान में करदाताओं/जमाकर्त्ताओं को 9 एजेन्सी बैंकों यथा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इण्डस्ट्रीयल डवलपमेन्ट बैंक ऑफ इण्डिया, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, केनरा बैंक एवं कॉर्पोरेशन बैंक के माध्यम से राशि जमा कराने का विकल्प उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त ई–ग्रास के तहत राजस्व जमाकर्त्ताओं को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के पेमेन्ट गेटवे एस.बी.आई. ई–पे के माध्यम से राशि जमा कराने की सुविधा दिनांक 02.11.2015 से प्रारम्भ की गई है। इसके अन्तर्गत जमाकर्त्ताओं को ई–ग्रास पर सीधे भुगतान हेतु अधिकृत 9 बैंकों के अतिरिक्त अन्य 32 बैंकों के माध्यम से भी ऑनलाइन (Net Banking/Debit/Credit card/Maestro/Master/Visa/ Rupay/Amex Card आदि) राजस्व जमा कराने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मैन्युअल भुगतान से जमा राजस्व (पी.डी. खातों व माइनस व्यय को छोड़कर) का भी संधारण ई–मोड पर ई–कोष द्वारा किय जा रहा है। ई–कोषालय को भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत जी.एस.टी. लेखांकन प्रक्रिया से भी सम्बद्ध कर SGST मासिक लेखों को महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध करवाया जा रहा है। ई–ग्रास के साथ मोबाईल एप विकसित कर उपलब्ध करवाई गई तथा पीएनबी पेमेन्ट गेटवे संयोजित कर दिया गया हैं, जिससे 47 बैंक सम्बद्ध हैं।

12. वित्तीय वर्ष 2019–20 में विभागीय अधिकारियों द्वारा 10 कोषालयों एवं 18 उपकोषालयों का प्रशासनिक निरीक्षण 31 दिसम्बर 2019 तक सम्पादित किया गया है।

एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली
(Integrated Financial Management System)

एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसकी कार्यकारी एजेन्सी राज्य सूचना एवं विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) है। इस परियोजना के अन्तर्गत कोष/उपकोष कार्यालयों का ऑनलाइन कम्प्यूटरीकरण, वित्त विभाग, महालेखाकार, बैंक, पेंशन विभाग के प्रमुख कार्यों को ऑनलाईन किया जा चुका है। प्रथम चरण के अन्तर्गत :-

1. उक्त परियोजना में कोषालय/उपकोषालय/डीडीओं ऑनलाइन सम्पर्क में है तथा राज्य के भुगतान व प्राप्तियां रियल टाईम बेसिस पर निदेशालय सम्बद्ध विभागों/कार्यालयों तथा वित्त विभाग में देखी जा सकती है कोषालयों द्वारा ऑनलाईन बजट नियंत्रण किया जा रहा है।
2. वित्त विभाग के मुख्य कार्यकलाप वित्तीय स्वीकृतियां यथा बजट लेखांकन, आय एवं व्यय का सम्पादन एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत किया जा रहा है।
3. उक्त प्रणाली के तहत कोष से संबंधित समस्त कार्य सभी कोषालयों/उपकोषालयों द्वारा सम्पादित किए जा रहे है।
4. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की स्वीकृति से भुगतान तक का समस्त कार्य ऑनलाइन किया जा रहा है।
5. समस्त विभागों द्वारा अपने अधीनस्थ विभागों को बजट ऑनलाइन वितरित किया जा रहा है तथा कोषालयों द्वारा ऑनलाइन प्रणाली में उपलब्ध बजट सीमा तक ही बिल पारित किये जा रहे है।
6. ऑनलाईन वेतन बिल प्रणाली दिनांक 01.04.2012 से समस्त कोषालयों में लागू की जा चुकी है जिसमें समस्त आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा ऑनलाईन वेतन बिल प्रेषित किये जा रहे है व कोषालयों द्वारा उन बिलों को ऑनलाईन पारित कर इलेक्ट्रोनिक पद्धति से वेतन तथा अन्य दावों का भुगतान किया जा रहा है।
7. दिनांक 16.08.2012 से समस्त राजकीय दावों का ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है।
8. दिनांक 01.12.2012 से ई-कोषालय स्थापित किया गया है जिसमें समस्त ऑनलाइन राजस्व प्राप्तियों का संकलन किया जा रहा है।
9. दिनांक 01.08.2014 से समस्त मैन्यूअल चालान ई-ग्रास साईट से ही जनरेट किये जा रहे है।
10. निर्माण विभागों के लेनदेनों को पूर्ण रूप से कोषालयों के माध्यम से किए जाने की प्रक्रिया निर्माण विभागों के समस्त डिविजनों में लागू की जा चुकी है।
11. समस्त कोषालयों द्वारा बैंकों द्वारा किए गए सिविल पेंशन के भुगतानों की ऑनलाईन पेंशन चैक रजिस्टर से जांच कर स्वीकार किया जा रहा है।
12. इस प्रणाली के अन्तर्गत एजेन्सी बैंकों व महालेखाकार कार्यालय को भी इन्टरफेस दिया जा चुका है जिसके अन्तर्गत एजेन्सी बैंक इलेक्ट्रोनिक भुगतान व राजस्व प्राप्ति तथा स्क्रॉल उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। महालेखाकार कार्यालय द्वारा भी इस प्रणाली के माध्यम से तैयार किए गए कोषालयों के लेखों के अनुसार ही इलेक्ट्रोनिक डेटा प्राप्त कर लेखों का संधारण किया जा रहा है।
13. दिनांक 01.09.2017 से ऑनलाईन यात्रा बिल प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।
14. पी.डी. खातों में इलेक्ट्रोनिक भुगतान की प्रक्रिया दिनांक 01.09.2017 से प्रारम्भ की गई।
15. ई-ग्रास पर मोबाईल एप की सुविधा दिनांक 02.10.2017 से प्रारम्भ की गई है।
16. सातवे वेतन आयोग के अनुसार वेतन एवं एरियर भुगतान की सुविधा पे-मैनेजर पर उपलब्ध करवाई गई है।

17. सभी उपकोषाधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षरों से इलेक्ट्रोनिक भुगतान की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।

18. राजस्व प्राप्तियों से संबंध मैनुअल भुगतानों को ई–मोड पर स्थानान्तरित कर ई–कोषालय से सम्बद्ध किया गया है जिसके अन्तर्गत राजस्व जमाकर्त्ता को एजेन्सी बैंकों की किसी भी शाखा में चालान के माध्यम से मैनुअल भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध है।

19. दिनांक 01.08.2018 से राज्य कार्मिकों के चिकित्सा बिल ऑनलाईन प्रस्तुत किये जाने की सुविधा प्रारम्भ की गई।

20. कोषालय जयपुर (शहर) के ई–भुगतान माह जुलाई, 2018 के पायलट के आधार पर ई– कुबेर पोर्टल से प्रारम्भ किये गये है तथा कोषालय अजमेर एवं सीकर के ई–भुगतान दिनांक 22.10.2018 से ई–कुबेर पोर्टल से प्रारम्भ किये गये है। शेष कोषालयों के दिनांक 01.01.2019 से ई–कुबेर पोर्टल से किये जाने हेतु प्रस्तावित है।

21. दिनांक 01.10.2018 से GST TDS की कटौती किये जाने की सुविधा प्रारम्भ की गई है।

22. पे–मैनेजर व ई–ग्रास पर सुरक्षात्मक उपाय संयोजित किये गये।

23. पीएनबी पेमेन्ट गेटवे हेतु आवश्यक इन्टीग्रेशन ई–ग्रास से किया गया।

24. निर्माण कार्य हेतु बीएसआर मॉडयूल विकसित किया गया।

25. महालेखाकार कार्यालय से ई–लेखा व ई–अंक मिलान प्रक्रिया प्रारम्भ करने हेतु सिस्टम विकसित किये जाने की एसआरएस का अंतमीकरण कर अनुमोदन करवाया गया।

26. दिनांक 11.04.2019 से सभी कोषालयों/उपकोषालयों का ई–भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक के ई–कुबेर पोर्टल के माध्यम से प्रारम्भ किया गया।

27. महालेखाकार कार्यालय को ई–लेखा प्रस्तुत करने की प्रकिया कोषालय टोंक, सीकर एवं जयपुर (शहर) के साथ पायलट आधार पर माह जून 2019 से प्रारम्भ की गई।

28. दिनांक 01.08.2019 से ऑनलाईन अंकमिलान की प्रकिया 4 बजट नियंत्रण अधिकारियों/कोषालयों के साथ पायलट आधार पर टेस्टिंग हेतु प्रारम्भ की गई हैं।

29. निर्माण विभागों हेतु ऑनलाईन बीएसआर तैयार करने एवं ऑनलाईन प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृत जारी करने की प्रक्रिया दिनांक 01.09.2019 से पायलट आधार पर 5 डिविजनों के साथ प्रारम्भ की गई है।

30. राजकीय संव्यवहारों/भुगतानों हेतु विभागों/आहरण वितरण अधिकारियों/पीडी खाता धारकों/खण्डीय खाताधारकों के लिए वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 13.09.2019 के द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर कार्मिकों के मास्टर डेटा को विभागाध्यक्ष स्तर पर अधिकृत करने, स्वीकृत पदो के कार्यालयवार वितरण, पेंशन अधिकृत अधिकृति के आधार पर लीव एन्केंशमेंट का मॉड्यूल भी सम्बद्ध किया गया।

31. ई––ग्रास पर भीम/यूपीआई को सम्बद्ध किया गया।

32. विधानसभा व लोकसभा चुनावों के दौरान कार्मिकों को देय भत्तों इत्यादि का भुगतान आईएफएमएस से सम्बद्ध कर ऑनलाईन किया गया।

33. राजकोष पर कन्टीन्जेंसी मॉड्यूल को सम्बद्ध किया गया।

कार्मिक अनुभाग

अधीनस्थ लेखा सेवा अनुभाग प्रथम एवं द्वितीय जिसके प्रभारी अतिरिक्त निदेशक कार्मिक–प्रथम एवं कार्मिक–द्वितीय है, द्वारा राजस्थान अधीनस्थ सेवा संवर्ग के सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I एवं सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II एवं खण्डीय लेखाकार का संस्थापन संबंधी कार्य किया जाता है। अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग अनुभाग तृतीय, जिसके प्रभारी अतिरिक्त निदेशक कार्मिक–तृतीय है, द्वारा कनिष्ठ लेखाकरों के संस्थापन का कार्य किया जाता है। राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के लेखाकर्मियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों के संधारण का कार्य गोपनीय अनुभाग द्वारा किया जाता है, जिसके प्रभारी अधिकारी अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–प्रथम) है। कार्मिक अनुभाग द्वारा निम्न लिखित कार्य किए जाते है :–

1. राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग का प्रशासनिक नियंत्रण तथा तत्सम्बन्धी कार्य ।
2. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा चयनित कनिष्ठ लेखाकारों की नियुक्ति, प्रशिक्षण एवं पदस्थापन सम्बन्धी कार्य ।
3. राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के लेखाकर्मियों का विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I/II एवं कनिष्ठ लेखाकारों के स्वीकृत पदों पर पदस्थापन।
4. राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग की वरिष्ठता सूची जारी करना।
5. राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 में संशोधन प्रस्तावित कर लेखाकार का पदनाम सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II तथा सहायक लेखाधिकारी का पदनाम सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I करवाया गया जिसकी अधिसूचना सं. एफ.2(5)डीओपी/ए–II/88 दि. 30.9.2014 कार्मिक विभाग द्वारा जारी की गयी है।
6. कनिष्ठ लेखाकार से सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II तथा सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II से सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I एवं सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I से लेखाधिकारी के पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठके आयोजित करना ।

- वर्ष 2019–20 के रिक्तियों के विरूद्ध सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I से लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करवाई गई। उक्त बैठक की अनुशंषा के अनुसार 204 सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I को लेखाधिकारी के पद पर, 511 नॉन टीएसपी,13 टीएसपी क्षेत्र के सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II को सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I के पद पर एवं 10 नॉन टीएसपी क्षेत्र के कनिष्ठ लेखाकार से सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के पद पर पदोन्नति दी गई है।

7. कार्मिक अनुभाग की गोपनीय शाखा द्वारा सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II एवं कनिष्ठ लेखाकारों के वार्षिक कार्य मूल्याकंन प्रतिवेदन सम्बन्धी पत्रावलियों का संधारण, डी.पी.सी., चयनित वेतनमान एसीपी स्वीकृति हेतु एपीएआर सम्बन्धी आकलन प्रपत्र तैयार करना एवं सहायक लेखाधिकारियों की स्थाई सम्पत्ति सम्बन्धी सूचना एकत्र कर तथा अधीनस्थ लेखा संवर्ग के सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I/II व कनिष्ठ लेखाकार के प्राप्त तथा अप्राप्त वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवदेनों की सूची वेबसाईट पर अपलोड कराने का कार्य सम्पादित किया जाता है।

8. दिनांक 31.12.2019 को अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की संख्या निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I	2160	1928	232
2.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	3489	1540	1949
3.	कनिष्ठ लेखाकार	5342	3572	1770
	योग	**10991**	**7040**	**3951**

प्रशासन अनुभाग

प्रशासन अनुभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यो के लिये निदेशालय में संयुक्त निदेशक (प्रशासन) प्रभारी अधिकारी हैं। प्रशासन अनुभाग द्वारा मुख्य रुप से निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये जाते हैं:–

1. संस्थापन शाखा – विभाग के अधीन कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृति कार्य, वार्षिक वेतन वृद्वि स्वीकृति, चयनित वेतनमान स्वीकृति, अनुकम्पात्मक नियुक्ति, सेवानिवृति पर पेंशन स्वीकृत करवाने संबंधी कार्य संपादित किये जाते हैं।
2. भुगतान शाखा – विभाग में कार्यरत स्टाफ के मासिक संवेतन, समर्पित अवकाश भुगतान, राज्य बीमा, जी.पी.एफ. ऋण स्वीकृति एवं भुगतान, कार्यालय संचालन हेतु विद्युत, पानी, वाहन किराया, कम्प्यूटर किराया राशि का भुगतान, भवन की सुरक्षा में लगे गार्डो को मासिक पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है।
3. स्टोर/भण्डार शाखा – विभाग में दैनिक कार्य में उपयोग यथा फर्नीचर स्टेशनरी कम्प्यूटर संबंधी सामान का कय एवं रख रखाव व पुराने सामान की नीलामी करने संबंधी कार्य, भवन के रख रखाव व भवन की सुरक्षा से संबंधित कार्य किये जाते है।
4. रिकॉर्ड शाखा – विभाग की पुरानी पत्रावलियों का संधारण किया जाता है।
5. पत्र प्राप्ति व प्रेषण शाखा – इस प्रकोष्ठ के अन्तर्गत विभाग में रोजाना प्राप्त होने वाले पत्रों की प्राप्ति एवं प्रेषित पत्रों का प्रेषण संबंधित अनुभाग में किया जाता है। कार्य में सुविधा की दृष्टि से एक कार्मिक प्रेषित पत्रों से संबंधित कार्य यथा डाक रजिस्टर संधारण, काम में लिए पोस्टेज स्टाम्प्स का रजिस्टर व प्रेषित पत्रों को भेजने संबंधी कार्य करता है तथा दो कार्मिक विभाग में आने वाले पत्रों को प्राप्त करना, प्राप्ति रजिस्टर में दर्ज कर संबंधित शाखा की डाक पंजिका में दर्ज कर संबंधित शाखा में भिजवाने का कार्य संपादित करते हैं।
6. सूचना प्रौद्योगिकी शाखा – निदेशालय के अन्तर्गत सूचना प्रोद्योगिकी संबंधी कार्यो के निष्पादन के लिए एक ए.सी.पी. (उपनिदेशक) एक प्रोग्रामर एवं दो सहायक प्रोग्रामर (एक ई–कोषालय में) कार्यरत है। अनुभाग द्वारा निदेशालय के सभी अनुभागों एवं कोषालयों व उपकोषालयों द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्यो में आई.टी. संबंधी सहायता प्रदान की जाती है। ए.सी.पी. (उपनिदेशक) निदेशालय की वेबसाईट के नोडल अधिकारी है।

जांच एवं विधि अनुभाग

जांच अनुभाग – जांच अनुभाग द्वारा सम्पादित किए जाने वाले कार्यो के लिए निदेशालय में संयुक्त निदेशक (जांच) प्रभारी अधिकारी हैं। इस अनुभाग द्वारा राजस्थान अधीनस्थ लेखा संवर्ग एवं निदेशालय के मंत्रालयिक तथा चतुर्थ श्रेणी सेवा के कार्मिकों के जांच संबंधी प्रकरणों का निष्पादन किया जाता है।

- आलोच्य वर्ष में दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2019 तक राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत कुल 06 प्रकरण निर्णित किये गये है, जिसमें 01 प्रकरण में आरोपियों को आरोप मुक्त किया गया, 02 प्रकरणों मे लिखित चेतावनी दी गई, 01 प्रकरण में एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से, तथा 02 प्रकरणों में दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

- राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत 02 प्रकरण निर्णित किये गये है, जिनमें 01 प्रकरण में 01 वार्षिक वेतन वृद्वि असचंयी प्रभाव रोके जाने के दण्ड से तथा 01 प्रकरणों में दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

- इस तरह आलोच्य वर्ष में राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 व 17 के कुल 08 प्रकरण निर्णित किये गये हैं।

विधि अनुभाग – विधि अनुभाग द्वारा सम्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए निदेशालय में संयुक्त निदेशक (विधि)/उपविधि परामर्शी प्रभारी अधिकारी है। विधि प्रकोष्ठ में एक कनिष्ठ विधि अधिकारी कार्यरत है। इनके द्वारा निदेशक कोष एवं लेखा तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों से संबंधित न्यायिक प्रकरणों का निष्पादन कराया जाता है।

- आलोच्य वर्ष 2019–20 में 31.12.2019 तक माननीय उच्च न्यायालय में कुल 77 रिट याचिकाऐं या विशेष अपीले विभाग के द्वारा एवं विभाग के विरूद्व, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में 02 प्रकरण विभाग के विरूद्ध, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में 23 प्रकरण विभाग के विरुद्ध दायर हुए है।

  वर्ष 2019 में माननीय उच्चतम न्यायालय में 04 प्रकरण, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में 37 राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में 13 एवं अधीनस्थ न्यायालयों में 03 प्रकरण निर्णित हुए है जिनमें से 36 प्रकरण विभाग के पक्ष में निर्णित हुए है।

अल्प बचत अनुभाग

वित्त विभाग के आदेश कमांक प.5(7)वित्त/राजस्व/02/पार्ट दिनांक 28.01.2010 के द्वारा दिनांक 01.04.2010 से अल्पबचत एवं राज्य लॉटरी विभाग को निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर में समाहित कर दिया गया है। समाहित विभाग से संबंधित शेष रहे कार्य का निष्पादन अब निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग द्वारा तथा जिला स्तर पर कलेक्टर के निर्देशन में कोषाधिकारी द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। निदेशालय कोष एवं लेखा के स्तर पर अल्प बचत संबंधी कार्यो के निष्पादन हेतु उपनिदेशक (अल्पबचत), एक सहायक लेखाधिकारी व एक मुख्य विधि अधिकारी के साथ–साथ मंत्रालयिक संवर्ग, वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद स्वीकृत है, जिसमें वर्तमान में अल्प बचत शाखा में उप निदेशक (अल्प बचत), सहायक निदेशक (अल्प बचत), एवं एक कनिष्ठ सहायक कार्यरत है। जिला स्तर पर अल्पबचत संबंधी कार्यो के निष्पादन हेतु प्रत्येक संभागीय मुख्यालय पर स्थित कोषालयों के लिए एक–एक पद वरिष्ठ सहायक का (कुल 7), प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर स्थित कोषालयों के लिए एक–एक पद कनिष्ठ सहायक का (कुल 33) एवं एक पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (कोषालय बांसवाडा) सृजित किया गया है।

चिटफण्ड– अल्पबचत के कार्यो के निष्पादन के अतिरिक्त चिटफण्ड संबंधी कार्य भी निदेशालय कोष एवं लेखा द्वारा किया जाता है। चिटफण्ड अधिनियम, 1982 एवं चिटफण्ड नियम (राज.), 1989 के अन्तर्गत चिटफण्ड संबंधी कार्य कर रही कंपनियों के पंजीकरण, नियमन इतयादि का कार्य संपादित किया जाता है। इसके लिए अब वित्त (राजस्व डिवीजन) विभाग के आदेश कमांक एफ.5(1)एफ.डी./रेवेन्यू/09 पार्ट दिनांक 18.01.2011 के द्वारा निदेशक, कोष एवं लेखा राज0, जयपुर को पंजीयक चिट एवं उप निदेशक (अल्पबचत), कोष एवं लेखा को उप पंजीयक चिट के रूप में नियुक्त किया गया है।

आलौच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धि

आलौच्य वर्ष 2019–20 में सभी कोषालयों/उपकोषालयों का ई–भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक के ई–कुबेर पोर्टल के माध्यम से प्रारम्भ किया गया।महालेखाकार कार्यालय को ई–लेखा प्रस्तुत करने की प्रकिया कोषालय टोंक, सीकर एवं जयपुर (शहर) के साथ पायलट आधार पर प्रारम्भ की गई। ऑनलाईन अंकमिलान की प्रकिया 4 बजट नियंत्रण अधिकारियों/कोषालयों के साथ पायलट आधार पर टेस्टिंग हेतु प्रारम्भ की गई हैं।निर्माण विभागों हेतु ऑनलाईन बीएसआर तैयार करने एवं ऑनलाईन प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृत जारी करने की प्रकिया पायलट आधार पर 5 डिविजनों के साथ प्रारम्भ की गई है।

ई–ग्रास पर भीम/यूपीआई को सम्बद्ध किया गया।राजकोष पर कन्टीन्जेंसी मॉड्यूल को सम्बद्ध किया गया।

राजकीय संव्यवहारों/भुगतानों हेतु विभागों/आहरण वितरण अधिकारियों/पीडी खाता धारकों/खण्डीय खाताधारकों के लिए वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 13.09.2019 के द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर कार्मिकों के मास्टर डेटा को विभागाध्यक्ष स्तर पर अधिकृत करने, स्वीकृत पदो के कार्यालयवार वितरण, पेंशन अधिकृत अधिकृति के आधार पर लीव एन्केंशमेंट का मॉड्यूल भी सम्बद्ध किया गया।

विधानसभा व लोकसभा चुनावों के दौरान कार्मिकों को देय भत्तों इत्यादि का भुगतान आईएफएमएस से सम्बद्ध कर ऑनलाईन किया गया।

कनिष्ठ लेखाकार कुल 1094 को हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान के विभिन्न केन्दों पर आठ सप्ताह का संस्थानिक प्रशिक्षण प्रदान कराया गया तथा 1916 कनिष्ठ लेखाकारों के वेतन नियमितिकरण एवं स्थायीकरण के आदेश जारी किये गये। शेष कनिष्ठ लेखाकारों के स्थायीकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

सार संक्षेप

विभाग द्वारा राज्य के सभी कोषालयों/उपकोषालयों के माध्यम से वित्तीय नियंत्रण एवं लेखांकन का कार्य, बजट एवं कोष कार्यालयों की कार्य प्रणाली को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से स्थापित की गई एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली का संचालन, वित्त विभाग को मार्गोपाय स्थिति की नवीनतम जानकारी देने के लिए कोषालयों से प्राप्त विभिन्न विभागों के आय एवं व्यय के मासिक आंकड़े संकलित कर वित्त विभाग को उपलब्ध कराना, राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम/द्वितीय एवं कनिष्ठ लेखाकार संवर्ग का संस्थापन एवं नियंत्रण के कार्य सम्पादित किये जा रहे है।

कोषालयों/उपकोषालयों का ई–भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक ई–कुबेर पोर्टल के माध्यम से प्रारम्भ किया गया है। महालेखाकार कार्यालय को ई–लेखा प्रस्तुत करने एवं ऑनलाईन अंकमिलान प्रक्रिया पायलट आधार पर प्रारम्भ की गई है। निर्माण विभागों हेतु ऑनलाईन बीएसआर तैयार करने की प्रक्रिया पायलट आधार पर 5 डिविजनों से प्रारम्भ की गई हैं।

वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 13.09.2019 के द्वारा राजकीय संव्यवहारों/भुगतानों हेतु विभागों/आहरण वितरण अधिकारियों/पीडी खाता धारकों/खण्डीय खाताधारकों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर कार्मिकों के मास्टर डेटा को विभागाध्यक्ष स्तर पर अधिकृत करने, स्वीकृत पदो के कार्यालयवार वितरण, पेंशन अधिकृत अधिकृति के आधार पर लीव एन्केंशमेंट का मॉड्यूल भी सम्बद्ध किया गया।

वित्त विभाग से संबंधित दूरभाष नम्बर

क्र. सं.	नम	पद	दूरभाष नम्बर	
			कार्यालय	निवास
1	मा. श्री अशोक गहलोत	माननीय मुख्यमंत्री (वित्त मंत्री)	2227656 2227647	2229244
2	श्री निरंजन कुमार आर्य	अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त विभाग	2227664	
3	श्री हेमन्त कुमार गेरा	शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग	2227934	
4	डॉ. पृथ्वी राज	सचिव वित्त (राजस्व) विभाग	2227711	
5	श्री सुधीर कुमार शर्मा	विशेष सचिव, वित्त (व्यय) विभाग	2227625	2398515
6	श्री शरद मेहरा	निदेशक, वित्त (बजट) विभाग	2227799	2359879
7	श्रीमती पुजा कुमारी पार्थ	संयुक्त शासन सचिव, वित्त(व्यय–I) विभाग	2227775	
8	श्री अजय असवाल	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय– II) विभाग	2227636	2780252
9	श्री सर्वेश कुमार तिवाड़ी	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय– III) विभाग	2227474	
10	श्री मेवा राम जाट	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय– IV) विभाग	2227119	
11	श्री ब्रजेश किशोर शर्मा	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय– V) विभाग	2227904	
12	श्रीमती कीर्ति जैन	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम–II) विभाग	2227868	2989120
13	श्री सुरेश कुमार वर्मा	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम–I) विभाग	2227557	2236210
14	श्री आशुतोष वाजपेयी	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग	2227556	
15	श्री जसवंत सिंह	संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग	2227791	2710420
16	श्री ओंकार मल राजोतिया	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (आबकारी) विभाग	2227239	2421243
17	श्री निशान्त जैन	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग	2227162	
18	श्री अपूर्व जोशी	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग	2385753	2701786
19	श्री वेदप्रकाश गुप्ता	संयुक्त शासन सचिव वित्त (बीमा) विभाग	2385649	2744440
20	श्री अरविन्द कुमार मिश्रा	संयुक्त शासन सचिव वित्त (अंकेक्षण) विभाग	2227450	
21	श्री उषस्पति त्रिपाठी	संयुक्त शासन सचिव वित्त (समन्वय / जी.एण्ड टी. / पेंशन) विभाग	2227921	
22	श्री हरिमोहन शर्मा	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, वित्त (विधि प्रकोष्ठ) विभाग	2227101	2501593
23	श्री सुनील सोनी	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (मार्गोपाय) विभाग	2227468	2790969
24	श्री धीरज सिसोदिया	उप शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग	2227860	
25	श्री चन्द्र सिंह दुगड.	विशेषाधिकारी वित्त (कर अनुसंधान प्रकोष्ठ) विभाग		
26	श्री अकुल भार्गव	तकनीकी निदेशक (कम्प्यूटर सेल) विभाग	2227094	2592426

अन्य संबंधित विभाग

27	श्री प्रीतम बी यशवन्त	आयुक्त वाणिज्य कर विभाग	2227552	
28	श्री बिष्णु चरण मलिक	आयुक्त आबकारी विभाग उदयपुर	2524911	
29	श्री आनन्द स्वरूप	निदेशक, बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग	2200786	
30	श्री महावीर प्रसाद	महानिरीक्षक, पंजीयन मुद्रांक विभाग, अजमेर	2971201	
31	श्री मुकुन्द सोहोनी	निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान	2740239	
32	श्री सुलतान सिंह	निदेशक, पेंशन विभाग	2740678	
33	श्री एस.के. असवाल	निदेशक, निरीक्षण विभाग	2740324	
34	श्री रामकिशोर रैगर	निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग	2740179	

निदेशालय कोष एवं लेखा से संबंधित दूरभाष नम्बर

क्रसं.	अधिकारी का नाम	पद	दूरभाष नम्बर	
			कार्यालय	निवास
1.	श्री मुकुन्द सोहोनी	निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर	2740239 2742309 FAX	2812793
2.	श्रीमती अमिता शर्मा	अतिरिक्त निदेशक(कोष एवं बजट/आई.एफ.एम.एस.)	2743752	2707219
3.	श्री अरविन्द दीवान	अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I) अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)	2744134 2740735	2503888
4.	श्रीमति शिल्पी कौशिक	अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–III)	2740837	2552983
5.	श्री सुमेर सिंह	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	2744861	
6.	श्रीमती हेमलता कुमारी	कोषाधिकारी (ई–कोषालय)	2744294	2790493
7.	श्री पूराराम मीणा	उप निदेशक (जाँच)	2740254	
8.	श्री शिवचरण मीणा	संयुक्त निदेशक (कोष/आरटीआई)	2740716	
9.	श्री प्रदीप कुमार वार्ष्णेय	उप निदेशक (आई टी/एनालिस्ट कम प्रोग्रामर)	2744488	
10.	श्री लेखराम मीना	उप निदेशक (अल्प बचत/ कार्मिक–III)		
11.	श्री कृष्ण कुमार यादव	सहायक निदेशक (अल्प बचत)		
12.	सुश्री कुसुम मीना	सहायक निदेशक (ए.सी.आर/कार्मिक–I)		
13.	श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता	सहायक निदेशक (कोष एवं बजट)		
14.	श्री सौरभ पालीवाल	सहायक निदेशक (आई.एफ.एम.एस.)		
15.	श्री दौलत राम मीणा	सहायक निदेशक (कार्मिक–III)		
16.	श्री बौद्ध कुमार झा	सहायक निदेशक (कार्मिक–I)		
17.	श्री चन्द्र शेखर गोड़	उप विधि परामर्शी	5111428	
18.	श्री राजेश माथुर	निजी सचिव		
19.	श्री गोविन्द गुप्ता	अतिरिक्त निजी सचिव	2740239	
20.	श्री रामकिशोर शर्मा	प्रोग्रामर		
21.	श्री दिनेश भट्ट	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I		
22.	श्री अरूण कुमार जैन	डेस्क ऑफिसर (कोष)	2740716	
23.	श्री सीताराम शर्मा	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I		
24.	श्री कमलेश पारीक	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I		
25.	श्री कैलाश चन्द गुप्ता	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I		
26.	श्री अरूण हल्दिया	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I		
27.	श्री सुरेश वर्मा	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I		
28.	श्री दिनेश चन्द गुप्ता	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I		
29.	श्री प्रकाश यादव	डेस्क ऑफिसर (प्रशासन)		
30.	श्री पवन कुमार मोदी	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I		
31.	श्री राजीव कुमार जैन	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I		
32.	श्री अजय दत्त माथुर	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I		
33.	श्री तुलसीराम सिंधी	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I		
34.	श्री सुरेश कुमार शर्मा	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I		
35.	श्री रमाकांत सरोलिया	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I		
36.	श्रीमती प्रीति खत्री	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I		
37.	श्री बजरंग सिंह	अतिरिक्त निजी सचिव	2743752	

राज्य के कोषालयों का विवरण एवं दूरभाष नम्बर

क्र. सं.	कोषालय	नाम कोषाधिकारी	S.T.D. कोड	दूरभाष		
				कार्यालय	निवास	कम्प्यूटर कक्ष
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		सर्वश्री / श्रीमती / सुश्री				
I	अजमेर सम्भाग					
1.	अजमेर	नेहा शर्मा	0145	2627938	**2621822**	2632561
2.	ब्यावर	डॉ. अरूणिमा सिन्हा	01462	257287	252350	256631
3.	भीलवाड़ा	सुरेश चन्द्र देसाई	01482	232616	232617	231936
4.	नागौर	किशोर कुमार गावड़िया	01582	244863	245654	240870
5.	टोंक	रामावतार शर्मा	01432	246957	244033	247319
II	बीकानेर सम्भाग					
6	बीकानेर	पवन कुमार कस्वा	0151	2226008	2226009	2530308
7	चुरू	रामधन	01562	250230	254242	250182
8	हनुमानगढ़	सुनील ढ़ाका	01552	260727	**265811**	265927
9	श्रीगंगानगर	नरेश कुमार अग्रवाल	0154	2445082	**2445088**	2442865
III	जयपुर सम्भाग					
10	अलवर	रितु जैन	0144	2700016	-	2701592
11	दौसा	रामचरण मीणा	01427	224679	-	223305
12	जयपुर (शहर)	देवाराम शिवरान	0141	2209051 2209050	-	2200415 5111422
13	जयपुर (सचि.)	राजू सूद	0141	2227067	-	2227626
14	जयपुर (ग्रामीण)	श्रीकृष्ण शर्मा	0141	2326130	-	2318898
15	पेंशन (जयपुर)	अंजू सिंह	0141	2315908	2235705	2312829
16	झुंझुनु	दीपिका साहु	01592	232397	231200	237559
17	सीकर	महेश कुमार शर्मा	01572	251084	257090	244185
IV	जोधपुर सम्भाग					
18.	बाड़मेर	दिनेश कुमार	02982	220404	226648	-
19	जैसलमेर	देवकिशन पंवार	02992	252462	254962	254852
20	जालौर	कानाराम प्रजापत	02973	222473	226197	225380
21	जोधपुर (शहर)	संदीप सांदू	0291	2650328	2650329	2650338
22	जोधपुर (ग्रामीण)	मांगीलाल चौधरी	0291	2650336	2716783	2650339
23	पाली	मनोज कुमार	02932	250220	223430	222711
24	सिरोही	सुमित देव	02972	221262	220276	223729

V	**कोटा सम्भाग**					
25	कोटा	डॉ. विधि शर्मा	0744	2323964	-	2325922 2320902
26	बारां	धीरज कुमार सोनी	07453	237013	-	237011
27	बूंदी	सत्यनारायण पांचाल	0747	2443989	2442550	2447253
28	झालावाड़	साधूलाल मीना	07432	230439	233624	233482
VI	**उदयपुर सम्भाग**					
29	बांसवाड़ा	रविन्द्र नाथ पारगी	02962	241015	248743	246180
30	चितौड़गढ़	भागीरथ सिंह लखावत	01472	241097	249557	248850
31	डूंगरपुर	दौलत राम डामोर	02964	232281	-	234020
32	प्रतापगढ़	राम प्रकाश शर्मा	01478	223099	220589	220188
33	राजसमन्द	जगदीश प्रसाद मीना	02952	225790	224625	220205
34	उदयपुर (शहर)	संदीप चारण	0294	2411987	2422602	2426190 2423703
35	उदयपुर (ग्रामीण)	दर्शना गुप्ता	0294	2410587	-	-
VII	**भरतपुर सम्भाग**					
36	भरतपुर	अवधेश कुमार	05644	223575	-	228189
37	धौलपुर	अनिल गोयल	05642	220894	-	220994
38	करौली	भरतलाल मीना	07464	250543	-	250134
39	सवाई माधोपुर	जितेन्द्र कुमार जैन	07462	220271	220711	223871
40	भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली	रेखा मीणा	011	23383147	-	-
41	ई–कोषालय	हेमलता कुमारी	0141	2744294	-	-

राज्य के उप कोषालयों का विवरण एवं दूरभाष नम्बर

क्र.स.	जिला	कोषालय	उपकोष		STD Code	दूरभाष नम्बर
			संख्या	स्थान		
1	2	3	4	5	6	7
I	अजमेर सम्भाग					
1.	अजमेर	अजमेर			0145	2627938
			10	1.केकड़ी	01467	221825
				2.किशनगढ़	01463	247081
				3.सरवाड़	01496	230883
				4.नसीराबाद	01491	220523
				5.अजमेर (पेंशन)	0145	2627936
				6.पीसांगन	0145	2775355
				7.भिनाय	01466	273305
				8.पुष्कर	0145	2773291
				9.रूपनगढ़	01497	225881
				10.अराई	01463	281213
2.	अजमेर	ब्यावर			01462	257287
			1	11.मसूदा	01462	266471
3.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा			01482	232616
			11	12.आसीन्द	01480	220777
				13.हुरड़ा	01483	221430
				14.जहाजपुर	01485	230104
				15.कोटड़ी	01488	235022
				16.सहाड़ा(मु.गंगापुर)	01481	221231
				17.बनेड़ा	01487	272616
				18.माण्डल	01486	266476
				19.माण्डलगढ़	01489	230364
				20.शाहपुरा	01484	222264

				21.रायपुर	01481	230231
				22.बिजौलिया	01489	236208
4.	नागौर	नागौर			01582	244863
			13	23.डेगाना	01587	222684
				24.डीडवाना	01580	221622
				25.जायल	01583	272130
				26.लाडनूं	01581	226275
				27.मेड़ता	01590	230453
				28.नावां	01586	262046
				29.मकराना	01588	245664
				30.परबतसर	01589	270588
				31.नागौर (पेंशन)	01582	245807
				32.खींवसर	01585	262086
				33.रियाबड़ी	01591	240037
				34.कुचामनसिटी	01586	222107
				35.मुण्डवा	01584	283085
5.	टोंक	टोंक			01432	246957
			6	36.देवली	01434	232477
				37.मालपुरा	01437	225992
				38.निवाई	01438	222324
				39.टोडारायसिंह	01433	232219
				40.उनियारा(अलीगढ़)	01436	266135
				41.पीपलू	01435	278175
II	बीकानेर सम्भाग					
6.	बीकानेर	बीकानेर			0151	2226008, 2530308
			8	42.कोलायत	01534	236428
				43.लूणकरणसर	01528	271005
				44.खाजूवाला	01520	232756

				45.नोखा	01531	223304
				46.बीकानेर (पेंशन)	0151	2201079
				47.पूगल	01523	265445
				48.श्रीडूंगरगढ़	01565	222939
				49.छत्तरगढ़	01520	242236
7.	चूरू	चूरू			01562	250230
			6	50.रतनगढ़	01567	222013
				51.सादुलपुर (मु.राजगढ़)	01559	223240
				52.सरदारशहर	01564	223818
				53.सुजानगढ़	01568	222294
				54.तारानगर	01561	241504
				55.बीदासर	1560	262501
8.	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़			01552	260727, 265927
			6	56.भादरा	01504	223990
				57.नोहर	01555	221468
				58.रावतसर	01537	251258
				59.पीलीबंगा	01508	233323
				60.टिब्बी	01539	234031
				61.संगरिया	01499	253201
9.	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर			0154	2445082
			8	62.अनूपगढ़	01498	254040
				63.श्रीकरणपुर	01501	228317
				64.पदमपुर	01505	233322
				65.रायसिंहनगर	01507	220110
				66.श्रीविजयनगर	01498	230999
				67.सार्दुलशहर	01503	224032
				68.घड़साना	01506	250750
				69.सूरतगढ़	01509	223450

III	जयपुर सम्भाग				
10.	अलवर	टलवर			0144	2700016
			14	70.बानसूर	01461	232001
				71.बहरोड़	01494	230538
				72.किशनगढ़बास	01460	242859
				73.लक्ष्मणगढ़	01492	231060
				74.मण्डावर	01495	260709
				75.राजगढ़	01464	221448
				76.थानागाजी	01465	224419
				77.तिजारा	01469	262460
				78.रामगढ़	01468	232083
				79.अलवर (पेंशन)	0144	2339221
				80.कठूमर	01492	260870
				81.कोटकासिम	01460	235762
				82.रेणी	01464	252002
				83.नीमराणा	01494	246079
11.	दौसा	दौसा			01427	223305
			4	84.बसवा	01420	231265
				85.लालसोट	01431	222813
				86.सिकराय	01420	254029
				87.महुआ	07461	284451
12.	जयपुर	जयपुर (शहर)			0141	2209050
			1	88.राज. विधानसभा	0141	2744337
13.	जयपुर	जयपुर (ग्रामीण)			0141	2326130
			15	89.आमेर	0141	2530883
				90.विराटनगर	01422	234097
				91.चौमूं	01423	220896
				92.चाकसू	01429	243332
				93.जमवारामगढ़	01426	287530

				94.कोटपूतली	01421	224339
				95.फागी	01430	282059
				96.सांभर	01425	224664
				97.मौजमाबाद	01428	252604
				98.शाहपुरा	01422	225461
				99.सांगानेर	0141	2730391
				100.बस्सी	01472	223511, 223898
				101.वृद्धावस्था (पेंशन)	0141	2326209
				102.दूदू	01428	277525
				103.किशनगढ़–रेनवाल	-	-
14.	जयपुर	कोषालय सचिवालय			0141	2227067
15.	जयपुर	पी.पी.ओ.जयपुर			0141	2315908
			1	104 उपकोष (पेंशन)		
16.	झून्झुनू	झून्झुनू			01592	232397
			8	105.चिड़ावा	01596	220007
				106.खेतड़ी	01593	234093
				107.उदयपुरवाटी	01594	234727
				108.नवलगढ़	01594	224710
				109.झून्झुनू (पेंशन)	01592	230033
				110.बुहाना	01593	288302
				111.मलसीसर	01595	246490
				112.सूरजगढ़	01596	237236
17.	सीकर	सीकर			01572	251084
			7	113.दांतारामगढ़	01577	-
				114.फतेहपुर	01571	231057
				115.लक्ष्मणगढ़	01573	224448
				116.नीमकाथाना	01574	232418
				117.श्रीमाधोपुर	01575	251055

			10	118.सीकर(पेंशन)	01572	244186
				119.खण्डेला	01575	260057
IV	जोधपुर सम्भाग					
18.	बाड़मेर	बाड़मेर			02982	220404
			10	120.चौहटन	02989	286130
				121.पचपदरा	02988	281698
				122.सिवाना	02901	230613
				123.शिव	02987	253095
				124.गुड़ामलानी	02983	253095
				125.बायतु	02982	241121
				126.रामसर	02985	220078
				127.धोरीमन्ना	-	-
				128.सिणधरी	-	-
				129.सेड़वा	-	-
19.	जैसलमेर	जैसलमेर			02992	252462
			2	130.पोकरण	02994	222783
				131.फतेहगढ़	02993	275446
20.	जालौर	जालौर			02973	222473
			8	132.आहोर	02978	282020
				133.भीनमाल	02969	222519
				134.सांचोर	02979	284265
				135.रानीवाड़ा	02990	231141
				136.बागौड़ा	02969	264294
				137.सायला	02977	272022
				138.जसवंतपुरा	-	-
				139.चितलवाना	-	-
21	जोधपुर	जोधपुर(शहर)			0291	2650328
22	जोधपुर	जोधपुर(ग्रामीण)			0291	2650336
			10	140.बिलाड़ा	02930	221470

				141.औसियां	02922	274544
				142.शेरगढ़	02929	243517
				143.फलौदी	02925	222749
				144.भोपालगढ़	02920	240809
				145.लूणी	02931	284370
				146.बावडी	02927	265022
				147.बाप	02921	277000
				148.बालेसर	02929	242002
				149. पीपाड़ शहर		
23.	पाली	पली			02932	222711
			9	150.बाली	02938	223058
				151.देसूरी	02934	254173
				152.जैतारण	02939	223192
				153.खारची	02935	252360
				154.रायपुर	02937	220755
				155.सोजत	02960	220392
				156.रोहट	02936	268181
				157.सुमेरपुर	02933	253939
				158.रानी	02934	220056
24.	सिरोही	सिरोही			02972	221262
			4	159.आबूरोड़	02974	222647
				160.पिण्डवाड़ा	02971	281146
				161.रेवदर	02975	283035
				162.शिवगंज	02976	272360
v	कोटा सम्भाग					
25.	बांरा		बांरा		07453	237013, 237014

			7	163.अटरू	07451	240214
				164.छबड़ा	07452	222710
				165.छीपाबड़ौद	07454	286074
				166.किशनगंज	07456	253321
				167.शाहबाद	07460	262435
				168.मांगरोल	07457	223262
				169.अन्ता	07457	244001
26.	बूंदी	बूंदी			0747	2443989
			5	170.हिण्डोली	07436	276248
				171.नैनवां	07437	257768
				172.केशोरायपाटन	07438	264705
				173.इन्द्रगढ़	07458	253850
				174.तालेड़ा	0747	2438004
27.	झालावाड़	झालावाड़			07432	230439
			7	175.अकलेरा	07431	272863
				176.गंगधार	07435	284429
				177.झालरापाटन	07432	240868
				178.पचपहाड़	07433	222882
				179.खानपुर	07430	261603
				180.पिड़ावा	07434	258041
				181.मनोहरथाना	07431	274717
28.	कोटा	कोटा			0744	2323964
			5	182.दीगोद	07455	234617, 234600
				183.पीपलदा	07458	275333
				184.रामगंजमण्डी	07459	221547
				185.सांगोद	07450	233233

32.				186.कोटा (पेंशन)	0744	2331280
VI	उदयपुर सम्भाग					
29.	बांसवाडा	बांसवाडा			02962	241015
			6	187.बागीदौरा	02968	280577
				188.घाटोल	02961	235773
				189.कुशलगढ़	02965	275812
				190.गढ़ी (परतापुर)	02963	222608
				191.आनन्दपुरी	-	-
				192.सज्जनगढ़	-	-
30.	चित्तोड़गढ़	चित्तोड़गढ़			01472	241097
			10	193.बेगूँ	01474	220806
				194.भदेसर	01470	243222] 243306
				195.गंगरार	01471	220023
				196.निम्बाहेड़ा	01477	222361
				197.कपासन	01476	231144
				198.राशमी	01471	226407
				199.रावतभाटा	01475	234525
				200.बड़ीसादड़ी	01473	264537
				201.डूंगला	01470	247205
				202.भूपालसागर	-	-
31.	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़			01478	223099
			4	203.धरियावद	02950	270546
				204.छोटीसादड़ी	01473	262533
				205.अरनोद	01479	242550
				206.पीपलखूँट	02961	233334
32.	डूंगरपुर	डूंगरपुर			02964	234020

			4	207.आसपुर	02967	271042
				208.सागवाड़ा	02966	254230
				209.सीमलवाड़ा	02964	240171
				210.बिच्छीवाड़ा	-	-
33.	राजसमन्द	राजसमन्द			02952	220205, 225790
			6	211.आमेट	02908	251104
				212.भीम	02951	250345
				213.देवगढ़	02904	252835
				214.कुम्भलगढ़	02954	242140
				215.रेलमगरा	02952	267850
				216.नाथद्वारा	02953	231745
34.	उदयपुर	उदयपुर			0294	2411987
35.	उदयपुर	उदयपुर(ग्रामीण)	10	217.गोगुन्दा	02956	282022
				218.खैरवाड़ा	02907	260903
				219.मावली	02955	263842
				220.सलूम्बर	02906	232382
				221.सराड़ा	02905	260353
				222.वल्लभनगर	02957	240202
				223.कोटड़ा	02958	227407
				224.झाडोल(फलासिया)	02959	220293
				225.लसाड़िया	02956	282028
				226.ऋषभ देव	02907	230019
VII	भरतपुर सम्भाग					
36.	भरतपुर	भरतपुर			05644	223575
			11	227.बयाना	05648	220756
				228.डीग	05641	230395

				229.कांमा	05640	220018
				230.नगर	05641	242053
				231.रूपवास	05645	243206
				232.वैर	05643	272220
				233.नदबई	05643	223914
				234.कुम्हेर	05644	240927
				235.पहाड़ी	05640	242030
				236.भरतपुर (पेंशन)	05644	223575
				237.भुसावर	05643	270027
37.	धौलपुर	धौलपुर			05642	220894, 220994
			4	238.बाड़ी	05647	273313
				239.बसेड़ी	05646	266107
				240.राजाखेड़ा	05642	233034
				241.सेपऊ	05642	266023
38.	करौली	करौली			07464	250134
			6	242.नादौती	07463	244006
				243.टोडाभीम	07461	230042
				244.हिण्डौन	07469	231343
				245.सपोटरा	07465	252810
				246.मण्डरायल	07464	226274
				247.मासलपुर	-	-
39.	स0माधोपुर	स0माधोपुर			07462	220271
			6	248.बामनवास	07467	222049
				249.गंगापुरसिटी	07463	234083
				250.बौंली	07466	247025
				251.खण्डार	07468	241301
				252.चौथ का बरवाड़ा	07462	257078
				253.मलारनाडूंगर	07466	272045